

25-11-19

पत्रावली पेश हुई। वकील मायों उपर है।  
 पत्रावली का अवलोकन किया तो दि०  
 26-8-19, 14-10-19 को पलकी देल आदेश  
 अवसर दिये गये परन्तु। फिर भी आज तक  
 पलकी देल चलवाना नोटिस पेश नहीं



आज्ञा का कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

किये हैं - इस प्रकार मार्केटिंग न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है अतः मार्केटिंग एंड ट्रेड प्रॉफिट ७१२-५ में खारिज किया गया। पञ्जाबली कैंसल शुमार टैकर रजिस्ट्रार से काम हो। आदेश सुनने न्यायालय में सुनाया गया।

~~RW~~

उप खण्ड अधिकारी  
साँभर लेख